न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/02/2013	2013/00050	09.05.2013	07.04.2026

1.दिगम्बर जैन महासमिति, अलवर संभाग जर्ये अनन्त कुमार जैन पुत्र श्री हजारीलाल जैन निवासी साउथ वैस्ट ब्लोक, अलवर एवं मंत्री मनीष कुमार जैन पुत्र श्री खिल्ली मल जैन, एडवोकेट निवासी 2, विकास पथ, अलवर।

—प्रार्थी

बनाम

1.भू आवंटन सलाहकार समिति राजगढ जिला अलवर जर्ये उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर।
2.पून्याराम पुत्र कन्हैया लाल जाति कुम्हार निवासी गढ राजोर, तहसील राजगढ, जिला अलवर।
2/1.राकेश दत्तक पुत्र पून्याराम।
3.बाबूराम पुत्र कन्हैया लाल जाति कुम्हार निवासी गढ राजोर तहसील राजगढ जिला अलवर।
4.मोहन लाल पुत्र कन्हैया लाल जाति कुम्हार निवासी गढ राजोर तहसील राजगढ जिला अलवर।

—असल प्रत्यार्थीगण

5.अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जयपुर मण्डल, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, कैलाश, मानसरोवर, 70/133—140 मानसरोवर जयपुर।
6.अलवर सहकारी भूमि विकास बैंक, अलवर।

—तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू—आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 29.06.1964 भू—आवंटन सलाहकार समिति राजगढ बाबत खसरा न0 152,153,161,162 वाके ग्राम गढ, तहसील राजगढ बहक कन्हैयालाल प्रजापत।

उपस्थितः—
01.श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव —वकील प्रार्थी
02.श्री कमल सिंह पोसवाल —वकील अप्रार्थी संख्या 02,03,04

—:: निर्णय ::—

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी/संस्था 'दिगम्बर जैन महासमिति' द्वारा राजस्थान भू—आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर आराजी खसरा नं. 152, 153, 161, 162 वाके ग्राम गढ़, तहसील राजगढ़ का आवंटन, जो अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के पिता कन्हैयालाल प्रजापत के पक्ष में दिनांक 29.06.1964 को किया गया था, को निरस्त करने की मांग की गई है। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित।

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार पेश हैं कि ग्राम गढ राजोर तहसील राजगढ जिला अलवर में नौगजा मंदिर के नाम से भगवान शांतिनाथ का एक प्राचीन मन्दिर लगभग 1000 वर्ष प्राचीन स्थित है, जो कि तरतीबी प्रत्यार्थी संख्या 5 के अधीन संरक्षित मोनूमेंट की श्रेणी में आता है। तथा उक्त संरक्षित स्मारक के 300 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का निर्माण या अन्य कार्य काश्तकारी आदि किया कानूनन निषिद्ध है। किंतु अप्रार्थी संख्या 2 ला० 4 ने आराजी खसरा नं0 152,153,161,162 वाकै ग्राम गढ़ राजोर तहसील राजगढ़ में कार्य काश्त किया हुआ है जिससे उपरोक्त स्मारक का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है तथा उक्त स्मारक को देखने आने वाले पर्यटकों को भारी कठिनाई का सामाना करना पडता है। अप्रार्थी संख्या 2 ला० 4 का कथन है कि खसरा नं० 152,153,161,162 वाकै ग्राम

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

गढ़ तहसील राजगढ़ उनके पिता कन्हैयालाल को दि० 29.06.1964 को आबंटित किया गया था। जबकि किसी भी पुरातत्व सम्पदा के 300 मीटर के क्षेत्र में कोई आबंटन नहीं किया जा सकता है एवं यदि कोई आबंटन किया गया है तो वह विधि विरुद्ध घोषित किए जाने योग्य है एवं अतिक्रमण हटवाये जाने योग्य है। उपरोक्त संबंध में तरतीबी प्रत्यार्थी संख्या 5 अधीक्षण पुरातत्वविद् जयपुर ने दिनांक 29.08.2012 को पत्र कमांक फा०सं० 5/9/ज.पु./अलवर/2000/स्मा 1637 द्वारा श्रीमान जिला कलैक्टर सा० अलवर से आग्रह किया हुआ है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुनश्चः तरतीबी प्रत्यार्थी संख्या 5 ने पत्र कमांक फा०सं० 5/12/ज.पु./अलवर /2000/रमा 104 दिनांक 08 अप्रैल, 2013, जो कि जिला कलैक्टर अलवर को संबोधित है तथा प्रति प्रत्यार्थी संख्या 1 एवं तहसीलदार, राजगढ को प्रेषित की गई है, द्वारा उपरोक्त भूमि का आबंटन निरस्त किए जाने एवं अप्रार्थी संख्या 2 ला० 4 को बेदखल किए जाने हेतु लिखा है, किंतु अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। प्रति संलग्न है। ग्राम गढ़, नीलकण्ठ, तहसील राजगढ जिला अलवर एक प्राचीन पर्यटन एवं धार्मिक क्षेत्र है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित एक अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर है। उक्त मंदिर 6–7वीं भाताब्दी का बताया जाता है एवं उक्त स्थान पर एक मौगजा मंदिर के नाम से जैन मंदिर भी है, जो कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत संरक्षित है। लेकिन नौगजा मंदिर के आसपास के मार्ग पर अप्रार्थीगण संख्या 2 ला० 4 पून्याराम, बाबूराम व मोहन लाल पुत्र कन्हैया लाल जाति कुम्हार निवासी गढ़ राजोर तहसील का कब्जा फाश्त मौके पर है जो कि उक्त संरक्षित क्षेत्र का विकास करने में बाधा उत्पन्न करते हैं।

उपरोक्त व्यवियों द्वारा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, राजगढ़ जिला अलवर के यहाँ राजस्व वाद संख्या 1/187/2003 पून्याराम बनाम कंजरवेटिव एसिस्टेंट इंचार्ज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, नीलकण्ठ गढ़ तह० राजगढ़ व अन्य के विरूद्ध दावा स्थाई निषेधाज्ञा दायर किया गया था जो कि दि० 28.03.2011 को खारिज हो चुका है एवं उक्त निर्णय के विरूद्ध कोई अपील भी नहीं की गई है। जिससे उपरोक्त व्यक्तियों को बेदखल किए जाने में कोई कानूनी आपत्ति नहीं है। नकल निर्णय संलग्न है। प्रार्थीगण ने उपरोक्त संबंध में माननीय जिला कलेक्टर, अलवर एवं उप खण्ड अधिकारी, राजगढ़ से भी हमारे पत्र दिनांक 18.06.2012, 11.03.2013 व 01.05.2013 को निवेदन किया गया एवं जिला कलैक्टर अलवर कार्यालय का पत्र कमांक 684 दिनांक 14.03.2013 अप्रार्थी संख्या 1 को प्रेषित किया गया, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी संस्था अखिल भारतीय स्तर पर पंजीकृत संस्था है तथा नौगजा मंदिर दिगम्बर आम्नाय से संबंधित है, जिसकी सुरक्षा एवं संवर्धन में प्रार्थी संस्था के सदस्यों का हित निहित है। प्रार्थी समिति के सदस्य समय–समय पर नौगजा मंदिर दर्शन एवं पर्यटक के रूप में भ्रमण करने भी जाते रहते हैं, जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 ला० 4 द्वारा काश्त की जाने से कठिनाई पैदा होती है, जिससे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 ला० 4 के पक्ष में किया गया आबंटन निरस्त किए जाने योग्य है। उपरोक्त आबंटन कृषि प्रयोजनार्थ किया गया है, जो राज० भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत किया गया होने से राज० भू आबंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत निरस्त किए जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवण योग्य है। प्रार्थीगण को उपरोक्त भूमि के आवंटन की जानकारी न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, राजगढ़ के निर्णय दिनांक 28.03.2011 से हुई, जिसके पश्चात प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 18.06.2012, 11.03.2013 व 01.05.2013 को निवेदन किया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई. जिससे यह प्रार्थना बिला देरी न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र हाजा पर न्यायालय शुल्क 2 रूपये चस्पा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किया गया आबंटन आदेश दिनांक 29.06.1964 भू–आवंटन सलाहकार समिति, राजगढ बाबत खसरा नं0 152,153,161,162 वाकै ग्राम गढ़ तहसील राजगढ बहक कन्हैयालाल प्रजापत पिता अप्रार्थी संख्या 2 ला० 4 निरस्त किया जावे एवं उक्त क्षेत्र के संरक्षण हेतु नौगजा मंदिर के पास की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराये जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावे।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई तथा वकील उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का भी अवलोकन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (सज०)

वकील प्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं क्या राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के नियम 14(4) के तहत 1964 मे किये गये आवंटन को खारिज किया जा सकता है। यदि 1970 में बनाये गये नियमों के तहत यदि पाई गई आराजीयात के आधार पर आवंटन 1957 के नियमों के तहत भी किया जा सकता है तो खारिज भी किया जा सकता है। निर्णयों में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

1997 RRD Page 193 decided on 10&01&1997

Rule 14(4) Allotement made under Rule of 1957 were cancelled under Rule 14(4) of 1970 on complaint Revision- Held as per rule 4 of the rule of 1970 land mentioned in section 16 R-T- Act are not available for allotement& under Rule 14(4) allotement made under rules of 1957 could also be cancelled in made against rules additional collector was competent to pass an order under Rule 14(4) Para 6 & 7.

2008 R-R-D- Page 829 to Page 832

Non&petitioner No- 2 cancelled the fact before collector and succeeded to gate allotement to 75 bighas land collector and R-A-A- not committed any factual and legal error in passing the order in spite to conferment of khatedari rights under allotment rule 1957. No- 2 Sought allotement of lands kept in reservation for the landless tenant on the basis of false and wrong information hence allotment cannot be confirmed & Both the rule ordinate courts have rightly set aside the allotement under rule 14(4) Para 10 & 12.

जब 1957 के नियमों के तहत किये गये आवंटनो को नियम 14 (4) में खारिज करने का सिद्धान्त माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित कर दिया गया तो निम्न नियमों पर गौर किया जाना आवश्यक है। नियम 5 आवंटन हेतु जो भूमि रिजर्व की जाती है वह रास्ते की मरघट की विवादित नहीं होनी चाहिए। किसी सरकारी महकमे केन्द्र सरकार के आधिपत्य की नहीं हो और ना ही मन्दिर की सार्वजनिक भूमि ही हो। यानि रिलीजियस सार्वजनिक उपयोग की होनी चाहिए। नियम 7 आवंटन योग्य भूमि पाये जाने के बाद 15 दिवस की उदघोषणा किये जाने का प्रमाण हो। नियम 8 जब आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उन्हें आवंटन हेतु बनाये गये रजिस्टर में दर्ज किया जाकर रिकॉर्ड मे सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है जो पब्लिक रिकॉर्ड के तहत मेन्टेन किया जाता है। आवंटन कार्यालय में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। नियम 9 आवंटन हेतु प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रो को आवंटन हेतु बनाये गये रजिस्टर मे दर्ज किया जाता है। नियम 10 जितने भी प्रार्थना पत्र आवंटन हेतु प्राप्त होते हैं उनकी जांच कर आवंटन हेतु कौन पात्र है और जो पात्र नहीं होते हैं उन प्रार्थना पत्रों पर कारण दर्ज किया जाता है कि वे पात्र क्यों नहीं है और सभी प्रार्थना पत्रों में पात्रों एवं अपात्रों के प्रार्थना पत्र को रिकॉर्ड मे सुरक्षित रखा जाता है। नियम 11 आवंटन कमेटी द्वारा भूमिहीन एस.सी./एस.टी. भूमिहीन बैकवर्ड क्लासेज आदि कैटेगरी के व्यक्तियों को आवंटन किया जाता है जिसका आवंटन प्रार्थना पत्रों एवं आवंटन हेतु बनाये गये रजिस्टरों में किया जाता है। नियम (14) (4) (8) आवंटन गैर खातेदारी के रूप में किया जाता है। यदि अलॉटी समस्त नियमों की अनुपालना करता है तो ही खातेदारी दी जाती है। यदि अलॉटी आवंटन के नियमों की पालना नहीं करता है तो आवंटन स्वतः ही खारिज कर दिया जाता है और वह भूमि सरकार में rusumed हो जाती है Sub Rule (8)। नियम 15 जब आराजी का आंवटन हो जाता है तब पटवारी को कब्जा देने का आदेश आवंटन अधिकारी करता है कब्जा 15 दिवस के अन्दर पटवारी को देना होता है। पटवारी आराजी की कीमत जमा कर रसीद आवंटी को देता है। नक्शा ड्रेस बनवाकर मौके पर कब्जा देता है। आराजी की कीमत जमा होने पर ही कब्जा देना आवश्यक होता है। कब्जा देने के बाद पट्टा जारी होता है, के आधार पर गैर खातेदारी का इंतकाल दर्ज होता है जिसका अमल उसी साल जमाबन्दी में होता है।

नियम 18(3) नोटिफिकेशन No- F6(84) Rev/VI/53 dated 02.11.1953 से आंवटन से लगातार कब्जा होना आवश्यक है। 18 (4) में ही कंडीशन प्रसीडेण्ट है कि आवंटन के साल में 50 प्रतिशत और अगले साल सम्पूर्ण भूमि पर काश्त करना भी मैडेटरी है वरना आवंटन खारिज कर दिया जावेगा। क्या आवंटित आराजी पर प्रत्यर्थीगण का आवंटन के दिन से भौतिक कब्जा था। आई एल आर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.12.1978 तक कभी भी कब्जा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

नहीं माना और अपनी रिपोर्ट में आवंटन की शर्तों की अनुपालना नहीं करने के कारण आंवटन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ के यहां प्रत्यर्थीगण ने एक वाद किया था जो कब्जा प्राप्त करने का प्रयास था। जिसमें न्यायालय ने ना तो कब्जा माना और ना ही काश्त करना पाया गया और मिलकियत भी प्रतिवादीगण की मानी और नौगजा मन्दिर है जिस पर पुरातत्व विभाग का कब्जा माना है। दावा दिनांक 28.03.2011 को खारिज कर दिया गया। अपील भी दिनांक 30.04.2015 को खारिज हो गई। दोनों में आवंटी का कब्जा नहीं होना माना है। आवंटन को साबित करने का भार क्या प्रार्थी का या प्रत्यर्थी का है। प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में आवंटन को साबित करने का भार प्रार्थी को सिद्ध करने का आक्षेप किया है जबकि न्यायालय श्रीमान् ने दिनांक 14.12.2015 को प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर प्रत्यर्थीगण को आदेश दिया है कि "अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12.2015 स्वीकार किया जाता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 2 लगा० 4 को निर्देशित किया जाता है कि आवंटन आदेश व पट्टा की प्रति जो भी उनके पास है वह न्यायालय में दिनांक 12.07.2016 तक प्रस्तुत करें।" उक्त आदेश से इम्पाईड रूप में आवंटन को साबित करने का भार भी प्रत्यर्थीगण पर हो गया है जिसे उन्होंने साबित नहीं किया है। इस प्रकार प्रत्यर्थीगण ने आवंटन से सम्बन्धित दस्तावेज आवंटन आदेश पट्टा कीमत जमा कराने की रसीद, कब्जा पत्र आदि कॉपी रिकॉर्ड में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण यह आवंटन साबित नहीं होने के कारण काबिल खारिज है।

2007 R-R-D- Page 340

As such this appeal is accepted order of learneded RAA is set aside and the order of learneded Add- Collector III dated 01&08&2002 up held and the order of cancellation of disputed allotment is up held and the land reverts to the State Government this order will be complied within a period of one month positively- (Para 8) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में सार्वजनिक मन्दिरों की भूमि को प्रोटेक्ट किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 (5) व 46 के द्वारा मन्दिर की सम्पत्तियों को प्रोटेक्ट किया गया है। मन्दिरों की भूमि का ना तो आवंटन किया जा सकता है और ना ही किसी भी आधार पर खातेदारी दी जा सकती है। इतना ही नहीं यह संरक्षण हिन्दू मन्दिरों को ही प्राप्त हो अन्य धर्मों के मन्दिरों पूजा स्थलों सार्वजनिक उपयोग के स्थलों को भी प्राप्त है। जिस प्रोटेक्शन के कारण जैन धर्म के सार्वज़निक उपयोग की जगह का ना तो आवंटन किया जा सकता है और ना ही खातेदारी दी जा सकती है।

No Khatedari rights VI 516 ¼iv½ can accure in land of deities ¼tempal land½ such lands are held for public purpose and the properties are endowed for an idol escentially for public utilty unless such temple is essentially a private one Held no khatedari rights can therefore in such MUAFI land- R-T- Act 1955 Page 72

Special bar under section 16 (iv) in addition it is also over consideration opinion that acquisition of kahtedari rights in the land endowed to or held by and for not only Hindu Idols and Dieties but and religious denomination is barred by the previously of section 16(vi) of the 1955 act because such lands are held for public purpose- R-T- Act 1955 Page 148

1984 RRD Page 1 at Page 24 para 52(1) LARGER BENCH In addition it is also our considered opinion that acouisition of khatedari rights in the lands endowed or held by and for not only Hindu Idols and Dieties last all the religious denonitions is barred by the provisions of section 16(vi) of the 1955 Act because such lands are for public purpose- Para 52(1)

धारा 63 (1) के खण्ड नौ के अनुसार यदि आवंटन विधि विरूद्ध किया गया है तो उसे निरस्त किया जा सकता है एवं ऐसी भूमि को राज्य सरकार Resume कर सकती है क्योंकि आवंटी को कोई कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। धारा 63 के प्रावधान दिनांक 26.03.1997 को संशोधित हो चुके हैं। जो आवंटन के आधार पर दी गई धारा 63 खातेदारी खारिज कर सरकार स्वविवेक से Resume करें।

Section 63 Tenancy when extinguished & The interest of a tenant in his holding or a part thereof as the case may be shall be extinguished. if the allotment of land is cancelled or the land is ordered to be resumed under the provisions of the Rajasthan Land Revenue Act 1956 Rajasthan Act No- 15 of 1956 or rules framed thereunder or under any other law for the time being in force-

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (सज०)

जब दिनांक 29.06.1964 के आवंटन को दिनांक 16.12.1978 को खारिज कर दिया गया तो फिर पुनः इंतकाल संख्या 61 दिनांक 21.05.1981 को किस आधार पर दर्ज किया गया। दिनांक 29.06.1964 को जो अवैध आवंटन बताया गया था। इंतकाल संख्या 43 को पटवारी द्वारा 15 साल बाद दिनांक 01.12.1978 को सीधा खातेदारी का भरकर दर्ज करने का प्रस्तुत किया गया जो स्वतः ही अवैध था क्योंकि आवंटित आराजी की कीमत जमा कराने पर कब्जा दिया जाता है। फिर पट्टा जारी होता है और पट्टे के आधार पर प्रथम गैर खातेदारी का इंतकाल दर्ज किया जाता कभी भी सीधी खातेदारी नहीं दी जाती है। यहां यह भी विचारणीय है कि इंतकाल या पट्ट्टा के कोई नम्बर भी दर्ज नहीं है। इंतकाल संख्या 43 की जांच आई.एल.आर. ने की तब पाया गया कि आवंटन दिनांक 13.12.1978 को आवंटित आराजी के रकबे पर कभी काश्त ही नहीं की गई और आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करना पाया गया और आवंटन खारिज करने की अनुशंसा की जिस पर दिनांक 16–12–1978 को तहसीलदार साहब "आवंटन की शर्तों की पालना नहीं किया अस्वीकार है।" यानि आवंटन खारिज कर दिया गया व इंतकाल खारिज हो गया। दिनांक 21.05.1981 को पटवारी ने फिर से दिनांक 29.06.1964 के आवंटन पर सीधा खातेदारी का इंतकाल संख्या 61 कैम्प राजौर में पेश कर दिया और खातेदारी का अंकन कर दिया गया जबकि आवंटन आदेश और पट्ट्टा के नम्बर अंकित नहीं थे ना ही आदेश और ना ही पट्टा संलग्न किया गया और ना ही पट्ट्टा के नम्बर ही इंतकाल पर दर्ज किये गये थे। पत्रावली पर मौजूद रिपोर्ट तहसीलदार साहब दिनांक 25.11.2014 को इंतकाल संख्या 61 के सम्बन्ध में बनाई गई जिसमें दर्ज किया गया कि "नामान्तरण संख्या 61 ग्राम गढ़ का है राजौर व गढ़ दोनों अलग–अलग राजस्व ग्राम है। नामान्तरण संख्या 61 की परत पर कोई आवंटन आदेश दर्ज नहीं है। नामान्तरण पर आवंटन आदेश के क्रमांक भी दर्ज नहीं है। उक्त नामान्तरण दिनांक 21.05.1981 को कैम्प राजौर में दर्ज हो, स्वीकृत हुआ है।" आवंटन किये जाने के बाद कभी सीधा खातेदारी का इंतकाल दर्ज ही नहीं होता है। जो राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू नियम 15 का सीधा उल्लंघन है जिसके आधार पर भी यह आवंटन काबिल खरिज है क्योंकि खातेदारी दिया जाना तभी सम्भव है जबकि अलॉटी अलॉटमेण्ट की शर्ते पूरी करेगा। जब अलॉटी ने 15 सालों तक आवंटित भूमि पर दिनांक 13.12.1978 तक काश्त ही नहीं की और आवंटन ही निरस्त हो गया 21.05.1981 फिर दिनांक को दुबारा दिनांक 29.06.1964 के आवंटन के आधार पर किस कानून के तहत दुबारा इंतकाल संख्या 61 दर्ज किया गया। जो अवैध एवं कूटरचित दस्तावेज की तारीफ में आता है और उसके आधार पर दी गई खातेदारी भी अवैध है उसे भी खारिज किया जा सकता है।

क्या अपीलीय विवादित भूमि भारत सरकार के संरक्षण में है और वह सार्वजनिक धार्मिक व मन्दिर उपयोग की है। विवादित आराजी जैन धर्म के साक्षात विराजमान देवता की है। जिसके दर्शनार्थ जैन धर्म के अनुयायी और अन्य लोग आते हैं लेकिन प्रत्यर्थीगण ने अपने जवाब 14 (4) के जवाब के पैरा संख्या 4 के पेज संख्या 2 में यह अभिस्वीकृत किया है कि "नीलकंठ नाम से एक प्राचीन शिव मन्दिर है।" जो तथ्य इस भूमि को मन्दिर की होना स्वीकार करना साबित है लेकिन जैन मन्दिर के सवाल पर चुप्पी साध लेते हैं।

AIR 1960 SC Page 100 (Headnote C)

(C) Evidence Act 1872&Sec 31&Admission Value of and admission is the best evidence that an opposing partly can rely upon and though not cancluseoi is decisive of the matter unless successfully widhdraw on proed erranous-

प्रत्यर्थीगण अपने दावे में जो उपखण्ड अधिकारी राजगढ की अदालत में पेश किया था उसमें प्रतिवादी संख्या 3 केन्द्र सरकार भारत जरिये सचिव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली दर्ज किया गया है जो साबित करता है एवं आदेश दिनांक 28–03–2011 में न्यायालय ने अपना ऑब्जेक्शन दिया है। "यहां महावीर स्वामी की पुरानी मूर्ति स्थापित है जो मन्दिर पुरातत्व विभाग के अधीन है। यहां सुरक्षा हेतु पुलिस चौकी व गार्ड भी लगी हुई है। दर्शनार्थ देश विदेश से लोग आते जाते हैं।" आदेश में मन्दिर माना है और भारत सरकार के संरक्षण में माना है जो तथ्य साबित करता है कि यह भूमि मन्दिर की सार्वजनिक धार्मिक उपयोग की भूमि है जिसे ना तो अलॉट किया जा सकता है और ना ही खातेदारी दी जा सकती है। इसलिए भी आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 294 सपठित धारा 172(1) तथा अनुसूची 1 की प्रविष्टि संख्या 15 के अनुसार उक्त भूमि भारत

अतिरिक्त कलेक्टर (द्वितीय)
अलवर (सज०)

सरकार में निहित हो गई इसलिए इस भूमि का आवंटन विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल खारिज है। भारतीय पुरातत्व मंत्रालय और जिला कलैक्टर के बीच चले पत्र भी प्रस्तुत हैं जो साबित करते हैं कि यह भूमि भारत सरकार के संरक्षण की है उसे आवंटन नहीं किया जा सकता था इसलिए भी आवंटन काबिल खारिज है। अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण संख्या 2 लगा० 4 के पिता श्री कन्हैयालाल के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 29.06.1964 निरस्त फरमाया जावे तदनुसार नामान्तरकरण संख्या 61 दिनांक 21.05.1981 निरस्त किये जाने की कार्यवाही अमल में लाई जावे तदनुसार प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 4 की खातेदारी उपरोक्त आराजी से समाप्त की जावे। विकल्प में अप्रार्थी संख्या 2 लगा० 4 को वैकल्पिक स्थान पर भूमि का आवंटन कर दिया जावे तो प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

वकील अप्रार्थी संख्या 2 ला० 4की ओर से पेश लिखित बहस कि संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है। अप्रार्थी संख्या 2 ला० 4 के पिता कन्हैया लाल पुत्र लादूराम कुम्हार को आराजी खसरा नगर 37 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा 45 रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम गढ़ तहसील राजगढ दिनांक 29.06.1964 को भूमिहीन एवं कमजोर तबके का होने के कारण विधिक प्रक्रिया अपना कर आवंटित की गई थी। जिनके हाल खसरा नंबर 152 रकबा 0.51 153 रकबा 0.32,161 रकबा 0.38, 162 रकबा 0.03 हैक्टर बनाए गए है। यह कथन गलत है कि किसी भी पुरातत्व सम्पदा के 300 मीटर के क्षेत्र में कोई आवंटन नही किया जा सकता। जब मौके पर कोई विवादित आराजी के आस पास 300 मीटर के क्षेत्र पुरातत्य सम्पदा है ही नहीं तो वह विधि विरुद्ध घोषित किए जाने योग्य नहीं है जब कोई अतिक्रमण है ही नहीं तो उसे हटवायें जाने का प्रश्न ही पेदा नहीं होता है। नीलकंठ नाम से एक प्राचीन शिव मन्दिर अवश्य है लेकिन इसकी कोई जानकारी नहीं है कि नौगजा मंदिर के नाम से जैन मन्दिर हो जो कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अर्न्तगत संरक्षित हो । यह सही है कि अप्रार्थी सं० 2 ला० 4 ने अपने कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 152, 153, 161, 162 पर काश्त मौके पर की हुई है यह गलत है कि हमारे द्वारा अपनी खातेदारी की आराजी में काश्त करने से किसी को कोई नुकसान होता हो । हमारीखातेदारी के आस पास कोई संरक्षित क्षेत्र है ही नहीं तो उसके विकास में बाधा उत्पन्न करने का प्रश्न ही पेदा नहीं होता है। अप्रार्थीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के यहां राजस्व वाद संख्या 01/187/2003 पून्याराम बनाम कंजरवेटिव असिस्टेण्ट इंचार्ज पुरातत्व सर्वेक्षण एवं अन्य के खिलाफ दावा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया था जो दिनांक 28.03.2011 को गलत रूप से खारिज हो गया था जिस निर्णय के खिलाफ अप्रार्थीगण ने अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के यहां पेश की हुई है। जो विचाराधीन है। हम अपने कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 152 रकबा 0.51, 153 रकबा 0.32. 161 रकबा 0.38. 162 रकबा 0.03 पर काश्त करते है जिससे किसी भी व्यक्ति को कोईकठिनाई पैदा नहीं होती है आवंटन सही व विधिक प्रक्रिया अपना कर किया गया है जो निरस्त होने योग्य नही है। विवादित आराजी का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ किया गया है जो आवंटन दिनांक 29.06.1964 को हम अप्रार्थीगण के पिता स्व० कन्हैयालाल को किया गया था जिसको करीब 60 साल हो गए है जिस पर हम अप्रार्थीगण के पिता स्व. कन्हैया लाल के हक में दिनांक 21.05.1981 को जरिये नामान्तकरण संख्या 61 के खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं जिसे भी 43 साल के करीब का समय हो गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के अर्न्तगत कतई चलने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध व गलत तथ्यो के आधार पर पेश होने के कारण निरस्त होन योग्य है निरस्त फरमाया जावे। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध एवम गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया है जो कतई चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी का 'हम अप्रार्थीसं० 2 ला० 4 के पिता श्री कन्हैयालाल के हक में विधिक प्रक्रिया के अनुसार हुए आवंटन को निरस्त कराने हेतू प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नही है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है निरस्त फरमाया जावे। हम अपार्थी सं० 2 ला 4 के पिता स्व. कन्हैयालाल को विवादित आराजी का आवंटन उन्हें भूमिहीन एवं कमजोर तबके का होने के कारण दिनाक 29–6–64 को आवंटन अधिकारी द्वारा विधिक प्रक्रिया अपना कर किया गया था जिस पर वक्त आवंटन हमारे पिता स्व. कन्हैयालाल आवंटी को मौके पर कब्जा संभलवा दिया था ओर तब से ही यानि आवंटन होने के दिन से ही जब तक हमारे पिता जीवित रहे वो काबिज रह कर करश्त करते रहे ओर उनके स्वर्गवास के बाद हम अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। आवंटन के बाद हमारे पिता स्व० श्री कन्हैया लाल के नाम पहले

आतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

गैरखातेदारी का नामान्तकरण स्वीकार हुआ और उसका अमल तत्कालीन जमाबंदी में आ गया। उसके बाद दिनांक 21.05.1981 को नलामान्तकरण सं० 61 हमारे पिता जी के नाम खातेदारी का स्वीकार हो गया और तत्कालीन जमाबंदी में खातेदारी का अंकन आ गया। तब से ही आज तक की समस्त जमाबंदीयो में हमारे नाम खातेदारी का अंकन चला आ रहा है ओर हम अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त आज तक बदस्तूर चला आ रहा है। उक्त आवंटन करीब 60 साल पुराना है एवम हम अप्रार्थीगण को खातेदारी प्राप्त हुए 43 साल से जयादा का समय हो गया है। ऐसी स्थिति में भी यह प्रार्थना पत्र धारा 14 (4) चलने योग्य नही है। यह कि आवंटन होने के बाद खातेदारी प्राप्त हो जाने के बाद राजस्थान भू आवटन 1970 के तहत आवंटन को निरस्त कराने का धारा 14(4) का प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नहीं होता है ऐसी स्थिति में प्राथी का प्रार्थना पत्र विधि विरुद्ध एवं गलत तथ्यो पर आधारित होने के कारण निरस्त होने योग्य है निरस्त फरमाया जाये। विवादित आराजी की बाबत पक्षकारान के मध्य सक्षम न्यायालय में पहले से ही दावा व राजस्व मण्डल अजमेर के यहां अपील विचाराधीन है तो यह प्रार्थना पत्र धारा 14 (4) का जो समरी प्रोसीडिंग है, कानूनन चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 14 (4) में दिए गए आधारो का कोइ उललंघन अप्रार्थीगण संख्या 2 ला० 4 द्वारा नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी कानूनन चलने योग्य नहीं है खारिज होन योग्य है खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी स० 2 ला0 4 के पिता कन्हैयालाल के साथ ही दिनांक 29.06.1964 को गांव के काफी व्यक्तियो को आवंटन किया गया है जिनका आवंटन भी आज तक बदस्तूर जारी है जिनके नाम भी खातेदारी का इन्द्राज हो गया है जिसकी भी जमाबंदीयां अप्रार्थीगण ने पेश की है। अप्रार्थी सं० 2 ला० 4 के पिता कन्हैयालाल एवं उनके स्वर्गवास के बाद अप्राथीसं० 2 ला० 4 का नाम विवादित आराजी में आवंटन के आधार पर राजस्व रिकाद्ध जमाबंदी वगैराह में गैरखातेदारी एवं खातेदारी का अंकन चला आ रहा है जिस बाबत निम्न दस्तावेज अदालत श्रीमान में अप्रार्थी नंबर 2 ला 4 द्वारा प्रस्तुत किये गये है जिनका विवरण निम्न प्रकार है। नकल जमाबंदी संवत 2024, नकल जमाबंदी संवत 2028 2031, नकल जमाबंदी संवत 2032, नकल जमाबंदी संवत 2033 से 2037, नकल नामान्तकरण सं0 61, नकल भूप्रबंध विभाग संवत 2046 से 2065, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2046, नकल जमाबंदी संवत 2046 से नकल जमाबंदी संवत 2048, नकल जमाबंदी संवत 2052, नकल जमाबंदी संवत 2056, नकल जमाबंदी संवत 2064 से 2067, नकल खसरा गिरदावरी संवम 2021 से 2024, नकल जमाबंदी संवत 2064 से 2068, नकल जमाबंदी संवत 2068 से 2071, अपार्थी सं० 2 ला 4 के पिता स्व० कन्हैयालाल को विवादित आराजी का आवंटन सही व विधिक प्रक्रिया अपना कर किया गया है जो निरस्त होने योग्य नहीं है। जिस सबंध में निम्नलिखित निर्णय गौर किये जाने योग्य है। DNJ 2024 (1) Rev- Page 431, DNJ 2023 (2) Rev- Page 1023, DNJ 2024 (1) Rev- Page 312, DNJ 2024 (1) Rev- Page 185, RRD 2009 Rev- Page 99 अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त लिखित बहस में अंकित तथ्यो एवं विधिक स्थिति एवं राजस्व रेकार्ड में अप्रार्थीसं० 2 ला० 4 के नाम खातेदारी का अंकन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 14(4) भू आवंट न नियम 1970 कानूनन चलने योग्य नहीं है खारिज होने योग्य है निरस्त फरमाया जाये।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी। वकील प्रार्थी/संस्था के मुख्य कथन है कि ग्राम गढ़ राजोर में 1000 वर्ष प्राचीन नौगजा मन्दिर (भगवान शांतिनाथ) स्थित है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन संरक्षित स्मारक है। कानूनन संरक्षित स्मारक के 300 मीटर की परिधि में काश्तकारी या निर्माण निषिद्ध है। अप्रार्थीगण विवादित भूमि पर काश्त कर रहे हैं, जिससे मन्दिर का विकास बाधित हो रहा है एवं पर्यटकों को परेशानी होती है। प्रार्थी का तर्क है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16(5) व 46 तथा भू–आवंटन नियमों के तहत सार्वजनिक या धार्मिक/मन्दिर उपयोग की भूमि का न तो आवंटन किया जा सकता है और न ही खातेदारी दी जा सकती है।

वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के तर्कों का खण्डन करते हुए तर्क दिए कि उनके पिता स्व. कन्हैयालाल भूमिहीन एवं कमजोर तबके से थे, जिन्हें दिनांक 29.06.1964 को सक्षम अधिकारी द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाकर आराजी आवंटित की गई थी। आवंटन के दिन से ही उनका एवं उनके बाद अप्रार्थीगण का भूमि पर निरन्तर भौतिक कब्जा एवं काश्त बदस्तूर जारी है। आवंटन उपरान्त दिनांक 21.05.1981 को नामान्तरकरण संख्या 61 के जरिये उनके पिता के नाम वैधानिक रूप से 'खातेदारी' अधिकार दर्ज हो चुके हैं। आज तक की समस्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

जमाबंदियों में वे खातेदार दर्ज हैं। प्रार्थी/संस्था का इस 60 वर्ष पुराने आवंटन को निरस्त कराने का कोई 'लोकस स्टेण्डाई' नहीं है। आवंटन को लगभग 60 वर्ष और खातेदारी प्राप्त हुए 43 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। खातेदारी प्राप्त हो जाने के पश्चात भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नहीं है।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया एवं उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस पर चिंतन–मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आक्षेपित आवंटन दिनांक 29.06.1964 का है। आवंटन के लगभग 50 वर्ष पश्चात यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि नियम 14(4) में आवंटन निरस्त करने की कोई स्पष्ट समय–सीमा निर्धारित नहीं है, परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई न्यायिक दृष्टांतों में यह सुस्थापित सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि स्व–प्रेरणा या किसी प्रार्थना पत्र पर आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही एक युक्तियुक्त समय के भीतर ही की जानी चाहिए। **DNJ 2024 (1) Rev- Page 431** एवं **RLW 2009 Rev- Page 99** में यह स्पष्ट अभिनिर्धारित किया गया है कि दशकों पुराने आवंटन को सरसरी तौर पर **(Summary proceedings)** निरस्त करना विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। 60 वर्ष पुराने मामले को नियम 14(4) के तहत अब खोलना कानून की मंशा के विपरीत है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं जमाबंदियों (संवत 2024 से 2071 तक) से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के पिता स्व. कन्हैयालाल को दिनांक 21.05.1981 को नामान्तरकरण संख्या 61 के जरिये खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। विधिक स्थिति यह है कि जब किसी आवंटी को भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, तो वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत एक खातेदार बन जाता है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् नियम 14(4) भू–आवंटन नियम, 1970 के तहत संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाकर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। प्रार्थी को यदि खातेदारी नामान्तरकरण को चुनौती देनी थी, तो उसे सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करना चाहिए था।

प्रार्थी 'दिगम्बर जैन महासमिति' एक निजी पंजीकृत संस्था है। प्रार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उक्त भूमि संरक्षित स्मारक (पुरातत्व विभाग) के 300 मीटर की परिधि में आती है। यदि उक्त भूमि वास्तव में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन आती है या उनके संरक्षित क्षेत्र में अतिक्रमण है, तो आवंटन निरस्तीकरण या बेदखली की कार्यवाही पुरातत्व विभाग या राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर की जानी चाहिए। एक तृतीय पक्ष संस्था को नियम 14(4) के तहत 60 साल पुराने कृषि आवंटन को निरस्त कराने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी का यह तर्क कि आवंटी का भूमि पर कब्जा नहीं रहा है, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड से खण्डित होता है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत 2021 से 2024 एवं विभिन्न जमाबंदियों (संवत 2024 से 2071 तक) में निरन्तर अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्वज का गैर–खातेदार और बाद में खातेदार के रूप में इन्द्राज चला आ रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टियों को सत्य माना जाता है जब तक कि उन्हें सक्षम न्यायालय द्वारा गलत घोषित न कर दिया जाए।

प्रार्थी ने तर्क दिया है कि 13.12.1978 की रिपोर्ट के आधार पर आवंटन निरस्त हो गया था। यदि ऐसा था भी, तो उसके पश्चात् दिनांक 21.05.1981 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 61 स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण विगत 43 वर्षों से अस्तित्व में है और किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक अपास्त नहीं किया गया है। नियम 14(4) की संक्षिप्त प्रक्रिया में इस नामान्तरकरण की वैधता का परीक्षण इतने वर्षों बाद नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त विवेचन, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों **DNJ 2023 (2) Rev- Page 1023, DNJ 2024 (1) Rev- Page 185** की रोशनी में अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के पक्ष में उनके पिता के नाम वर्ष 1964 में हुआ आवंटन एवं तत्पश्चात वर्ष 1981 में प्राप्त खातेदारी अधिकार वैधानिक रूप से परिपक्व हो चुके हैं। अत्यधिक विलम्ब के पश्चात नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 के तहत प्रार्थी संस्था द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है तथा प्रार्थी को यह वाद प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रार्थी/संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (सज०)

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी दिगम्बर जैन महासमिति, अलवर संभाग द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 14(4) राजस्थान भू–आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन एवं विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। आराजी खसरा नं. 152, 153, 161, 162 वाके ग्राम गढ़, तहसील राजगढ़ का आवंटन, जो अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के पिता कन्हैयालाल प्रजापत के पक्ष में दिनांक 29.06.1964 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर(द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कलै० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर